



Government of Uttar Pradesh

IN-UP29536380588393W

ACC No. 75-14191704

ACC. No. UP-14191704

ACC. No. 75-14191704

Mob No-8172810163

e-Stamp 96

Rectified e-stamp certificate is valid only if base e-stamp certificate is attached

Base Certificate No. : IN-UP29052087052660W

Rectified Certificate No. : IN-UP29536380588393W

Certificate Issued Date : 19-Oct-2024 03:46 PM

Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14191704/ BASTI-SADAR/ UP-BST

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1419170456009564477229W

Purchased by : AMIT SINGH SO VIDYASAGAR SINGH

Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of

Property Description : UREHI DEVI TRUST, MOHALLA LAIBUDWA SHAKTINAGAR RAUTAPAR
POST GANDHI NAGAR DISTRICT BASTI UP 272001

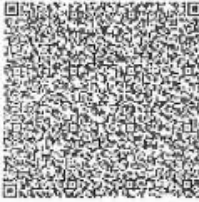
Consideration Price (Rs.)

First Party : AMIT SINGH SO VIDYASAGAR SINGH

Second Party : Not Applicable

Stamp Duty Paid By : AMIT SINGH SO VIDYASAGAR SINGH

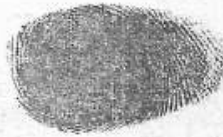
Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,500
(Two Thousand Five Hundred only)



LOCKED

Please write or type below this line

Amit Singh



QE 0018740037

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shreestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
- Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The use of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

VOID VOID VOID



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP29052087052660W

Signature

ACC Name-Ajay Narayan Gupta

ACC Code-UP-14191704

ACC Address-Collaborate, Lucknow-Bast

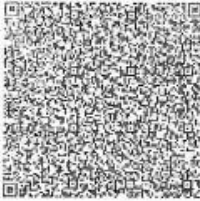
Licence No-75 Tehsil & District-Basti

Mob No-8172810163

RECTIFIED CERTIFICATE
ISSUED AGAINST THIS CERTIFICATE

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP29052087052660W
Certificate Issued Date : 19-Oct-2024 01:18 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14191704/ BASTI SADAR/ UP-BST
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1419170455010120719003W
Purchased by : AMIT SINGH SO VIDYASAGAR SINGH
Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description : UREHI DEVI TRUST, H.NO.1351 MOHALLA RAUTAPAR POST GANDHI
NAGAR DISTRICT BASTI
Consideration Price (Rs.) :
First Party : AMIT SINGH SO VIDYASAGAR SINGH
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : AMIT SINGH SO VIDYASAGAR SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,500
(Two Thousand Five Hundred only)



LOCKED

Please write or type below this line

Amit Singh



QE 0018740036

Disclaimer Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shikshaparam.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. Any person needing this legitimacy is the holder of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

VOID VOID VOID



न्यास पत्र

हम कि अमित सिंह पुत्र श्री विद्यासागर सिंह मो०-लैबुडवा (शक्तिनगर)
पो०-गांधीनगर तहसील-बस्ती सदर जिला बस्ती उ०प्र०।

हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते हैं तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख-शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूल-भूत आवश्यकताएं, भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान-प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-चारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति पाति छुआ-छूत धर्म और सम्प्रदाय ऊँच-नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित में उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास / ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 25000/-रु० (पच्चीस हजार) रुपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इसी न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र की भी निष्पादित कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी।-

Amit Singh





1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास/ट्रस्ट का नाम उरेही देवी ट्रस्ट होगा ।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय मु० लैबुडवा (शक्तिनगर) रौतापार पो०-गांधीनगर तहसील-बस्ती सदर जिला बस्ती उ०प्र० में स्थित होगा। ट्रस्ट के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट के द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा । आवश्यकता पडने पर भारत के बाहर विदेशों में भी विधि पूर्ण कार्यों का संचालन किया जा सकेगा ।
3. यह कि हम मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी माने जायेंगे। हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करते है। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का निम्न पदाधिकारी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या 07 से अधिक नहीं होगी । भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य

ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल / ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्न लिखित है।

1. अमित सिंह पुत्र श्री विद्या सागर सिंह निवासी मो०-लैबुडवा (शक्तिनगर) रौतापार पो०-गांधीनगर तहसील व जिला बस्ती उ०प्र० — प्रबन्धक/अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी
2. गरिमा सिंह पत्नी अमित सिंह निवासी मो०-लैबुडवा (शक्तिनगर) पो०-गांधीनगर तहसील व जिला बस्ती उ०प्र० — उपाध्यक्ष
3. राम पाल सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह मो०-मडवानगर पो०-गांधीनगर तहसील व जनपद बस्ती उ०प्र० । — कोषाध्यक्ष
4. शशिबाला सिंह पत्नी श्री राम पाल सिंह मो०-मडवानगर पो०-गांधीनगर जनपद-बस्ती उ०प्र० — सचिव
5. राजनसिंह पुत्र विद्या सागर सिंह निवासी मो०-लैबुडवा (शक्तिनगर) पो०-गांधीनगर तहसील व जिला बस्ती उ०प्र० — सदस्य
6. विशाल सिंह पुत्र श्याम बहादुर सिंह ग्रा०-दरियवना पो०-दुबौलिया जनपद -बस्ती उ०प्र० — सदस्य
7. शैली सिंह पुत्री राम पाल सिंह मो०-मडवानगर पो०-गांधीनगर जनपद-बस्ती उ०प्र० — सदस्य

Amit Singh



4. यह कि मुकिर द्वारा उरेही देबी ट्रस्ट के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।
1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
 2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना। तथा प्रतिभा सम्पन्न मेधावी छात्रों को देश-विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
 3. नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक, जूनियर, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट(10+2), स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना तथा उन्नयन के क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी-गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा0/प्रशिक्षण आयुर्वेदिक पैरामेडिकल होमियोपैथिक, यूनानी पैरामेडिकल व मेडिकल कालेज की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना जिसके विकास हेतु बैंक से ऋण लेने के लिए अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष के सम्मिलित हस्ताक्षर से ऋण ले सकते हैं।
 4. वर्तमान समय में विज्ञान को जन-जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञाशुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालोजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
 5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्र-भक्ती, राष्ट्रीय एकता सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति से प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
 6. लिंग-भेद, जाति-पाति, छुआ-छुत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिए कार्य करना।
 7. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इन्जीनियरिंग, पालीटेकनिक, बैंक, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 के प्रवेश की तैयारी हेतु कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था करना तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।
 8. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सामान्य एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रवन्ध करना।

Amit Singh



9. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे—सिलाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, पेन्टिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर फाइन आर्ट, संगीत, ब्यूटीशियन कोर्स इसके लिए अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रों की स्थापना / व्यवस्था तथा प्रवन्ध करना। आवश्यकता नुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष पुस्तकालय अध्ययन कक्ष, छात्रावास भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
10. खाद्य, प्रसंस्करण जैसे—जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, कैचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
11. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोगी सांस्कृतिक कार्यक्रम कुकिंग कला, निबंध, व्याख्यान तथा खेल—कूद आदि का आयोजन करना तथा प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।
12. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे—गंगे बहरे अन्धे अपंग एवं मानसिक रूपसे कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के विद्यालय छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि।
13. वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम, विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन पढ़ने लिखने एवं खेलने की पूर्ण सुविधा हो।
14. महिला संरक्षण गृह/विधवा एवं अनाथ बच्चों के लिए पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।
15. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आगनबाड़ी बालबाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
16. सरकारी / अर्द्धसरकारी, प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षरोपण औषधियों एवं जड़ी-बूटी वाले पौधों का उत्पादन मेडिसिनल प्लान्ट (फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना।
17. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना।
18. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

Amit Singh



19. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिक सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके । तथा नेहरू युवाकेन्द्र ,समाज कल्याण ,एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना ।
20. घरेलू ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन हेतु युवाओं को प्रेरित /जागरूक /प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना ।
21. बीड़ी ,सिगरेट ,तम्बाकू ,पान-मसाला,गंजा-भांग स्मैक ,एल0सी0डी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगो को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशामुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना ।
- 22.समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे-अन्ध -विश्वास ,बाल विवाह ,दहेज प्रथा, बालश्रम, महिला शोषण , लिंग-भेद , अस्पृश्यता, जाति-पाति एवं छुआ-छूत की भावना को दूर करना ।
23. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना । विभिन्न त्यौहारों व कार्यक्रमों में होने वाले भोजन तथा धन के अपव्यय की रोकथाम करना ।
24. योग केन्द्रों तथा विभिन्न प्रकार के खेलों जैसे ,जिम्नास्टिक ,जूडो कराटे ,कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना ।
25. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, परिवार नियोजन,टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता /प्रशिक्षण दवा/किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा तथा रूढ़िगत विश्वास एवं अंधविश्वासी धर्म के स्थानपर लोक कल्याणकारी धर्म की शिक्षा देने हेतु शिविर की स्थापना कराना साथ-2 परिवार कल्याण ,परामर्श केन्द्र की स्थापना कराना तथा रक्तदान कराना आदि ।
26. एड्स कैंसर ,टी0वी0,कोढ़ मलेरिया, पोलियो , हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम /नियन्त्रण जागरूकता /उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज , होम्योपैथी ,आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों ,चिकित्सालय एवं नर्सिंगहोम की स्थापना करना ।
- 27.सरकार के सहयोग से गाँवों एवं शहरों के चौमुखी विकास हेतु पेयजल शौचालय नाली,सड़क निर्माण खडन्जा ,पिच, पार्क,शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना । सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना ।

Amul Singh



5-ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य

- 1-समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य व केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना ।
- 2- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों को सुचारु रूप से व्यवस्थित करने हेतु अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों, उप समितियों का गठन करना ।
- 3, ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना ।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु शुल्क, दान, चंदा, इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रवन्ध इकाइयां गठित करना ।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना । तथा मेधावी छात्र / छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना ।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख-भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना ।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के वास्तविक गठित समिति को भंगकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना ।
8. ट्रस्ट के अधीन संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोधकेन्द्रों, गौ-शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना तथा उनके हित में अन्य कार्यों को करना ।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं अर्द्ध-सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण, एवं अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना ।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना ।
11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुतकर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करवाना तथा उक्त अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक अभिलेख/आवेदन प्रस्ताव पेश करना
12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक / तकनीकी / गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्स यूनिवर्सिटी, इन्स्टीच्यूट की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित विन्दुओं को पूर्ण कर आवश्यक कार्य करना ।

Amit Singh



6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा ।

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुक़िर होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवन काल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। अन्य कोई भी ट्रस्टी सदस्य मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा ।
2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिती, बीमारी, या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में मुख्य ट्रस्टी द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत होगा । किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा ।
3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषायक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किए गये ट्रस्टियों का कार्य अधिकार निश्चित किया जा सकेगा ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा ट्रस्ट के पदाधिकारियों के नर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख-रेख में कराया जा सकेगा। और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किए जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा ।
4. ट्रस्टमण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिती में हुई रिक्ती की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी ।
5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा । और उनके स्थान पर किसी अन्य सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टी के रूप में समायोजित कर-लिया जायेगा । यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल में सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा ।
6. ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक, संस्था व इन्स्टीच्यूट के प्राचार्य शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट की नियामक संस्था अथवा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे । तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

Amit Singh



7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी ब्यक्ति या संस्था से कोई ब्यक्तिगत लेन-देन करता है तो ट्रस्ट इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायी नहीं होगा । बल्कि ट्रस्टी स्वयं उत्तरदायी होगा ।
8. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किए गये खर्चे व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत ब्यय राशि से सम्बन्धित विलों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा ।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी । उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं / समितियों के प्रबन्धक / सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारी भाग लेंगे । वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी ब्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी । और उपरोक्त सभी ब्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा । वार्षिक बैठक में अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी । कोई भी ब्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता है ।
2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-ब्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा । विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा ।

7. मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य

- 1- ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक/अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना ।
2. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना ।
3. ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार कराना
4. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना ।
5. ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-ब्यय का हिसाब किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना
6. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना ।

Amit Singh



7. ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता नियुक्त करना ।
8. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट के मुख्य प्रबन्धक/अध्यक्ष के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना ।
9. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना ।
10. ट्रस्ट के आय-व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराना
11. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारु रूप से रख-रखाव करना ।

8. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था

ट्रस्ट के कोष को सुचारु रख-रखाव एवं व्यवस्था हेतु किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियों एवं ऋण राशियाँ निहित होंगी, ट्रस्ट के नाम से खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत किसी अन्य ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा

9. ट्रस्ट के अभिलेख

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने / कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखा रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा ।

10. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्न

लिखित रूप में की जायेगी ।

1. यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता, या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा । और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय को बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे। मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट के हित में बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु ट्रस्ट की सम्पत्ति को बन्धक रख सकेगा

Amit Singh



2. यह कि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा ।
3. यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा ।
4. ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गई कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी ।
5. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रवन्ध कीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मंडल का निर्णय अंतिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थिति वश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रवन्धन व उसकी सम्पत्ति ट्रस्ट में गिहित रहेगी ।
6. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी बैद्धानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा जसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिती में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी ।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मंडल के अधीन होगा । ट्रस्ट मंडल बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा ,अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस कार्य हेतु नियुक्त करेगा । इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रवन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु बैतनिक कर्मचारियों को भी नियुक्त करेगा ।

Anant Singh



8. ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
9. ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही उपयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके वावत भी यह शर्त लागू होगी।
10. ट्रस्ट में किसी प्रकार के चल व अचल सम्पत्ति का व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है।

घोषणा

उरेही देवी ट्रस्ट की तरफ से हम अमित सिंह मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित्त से विना किसी बाहरी दबाव के सांच-समझकर निबंधन हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके।

Amit Singh



गवाह:-

- 1- नन्हाल पुत्र रिवप्रसाद श्यामचण्डोस्ट पोखरा बजार
जिला बस्ती 7302006422
- 2- आनंद कुमार पुत्र मदन चन्द्र शर्मा बरगादवां कला
पौ 0 गुनखोर जिला सत कबीर नगर 798554020

दिनांक 19-10-2024

मजमूनकर्ता
श्रीलेन्द्रकुमार श्रीवास्तव
एडवोकेट
रजि.नं. 1398/2000

आवेदन सं०: 202400939013113

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 98 के पृष्ठ 165 से 190 तक क्रमांक 96 पर
दिनांक 19/10/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

M. R. R. R.

मीरा पटेल प्रभारी

उप निबंधक : सदर

बस्ती

19/10/2024

